

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2242

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

2242. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग और प्रदूषित पेयजल के कारण राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कैंसर, किडनी और लीवर की बीमारियों के मामले कई गुना बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में इन घातक बीमारियों के बढ़ते मामलों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बीमारियों की रोकथाम, साफ़ पीने का पानी देने, रसायनों के उपयोग को नियंत्रित करने और समय पर और सस्ता इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाले इलाज के साथ-साथ आर्थिक मदद देने के लिए कोई खास योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रमाणित सर्वेक्षण या अध्ययन उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और प्रदूषित पेयजल के कारण कैंसर, गुर्दे और यकृत रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से जुड़े पारंपरिक जोखिम कारकों, जैसे तंबाकू और शराब का सेवन, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि, अस्वास्थ्यकर आहार, अधिक नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की नियोजन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सौंपा गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में एनपी-एनसीडी के तहत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता और प्रस्तावों के अनुसार, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना सुदृढीकरण, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में 297 डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में सामान्य गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एनएचएम के तहत एक जनसंख्या-आधारित पहल कार्यान्वित की गई है। एफएसएसएआई की 'ईट राइट' पहल और आयुष तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालयों के 'फिट इंडिया', 'खेलो इंडिया' और 'योग' जैसे जीवनशैली संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ खानपान को बढ़ावा दिया जाता है।

(घ) आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): एबी-पीएमजेएवाई लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या वाले अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। आयुष्मान वय वंदना के माध्यम से यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, विस्तारित की गई है। एनसीडी के लिए पैकेज भी पीएम-जेएवाई योजना का हिस्सा हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी), विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी), राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और कैंसर उपचार सुविधा केन्द्रों वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों के इलाज के लिए, स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएन) की छत्रप योजना के एक घटक के तहत 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए आवश्यक दवाएं गरीब और जरूरतमंद

लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रतिरोपण (अमृत) मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किफायती दवाएं प्रदान करता है।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत गंभीर रोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। नॉन-एल्कोहोलिक फैटी लिवर रोग से पीड़ित रोगियों की जांच के लिए राज्य के सभी 61 जिला अस्पतालों में लिवर स्माइल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।
